<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260601 CG-DL-E-30012025-260601

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] No. 54]

नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 29 जनवरी, 2025

सा.का.िन. 83(अ).— अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (जेडजे) से (जेडके) के साथ पिठत धारा 47 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत सरकार के पत्तन, पोत पिरवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2022 के सा.का.िन. 424 (ई) के द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार एवं सिग्नल) नियम, 2022 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है तथा एतद्वारा अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित रूप से उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती है; और एतद्वारा द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना की प्रतियां, आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 251, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

750 GI/2025 (1)

संशोधित मसौदा

- 1. 1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार एवं सिग्नल) (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकता है।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अंतर्देशीय जलयाान (सुरक्षित नौचालन, संचार एवं सिग्नल) नियम, 2022 (जिसे यहां इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 2 के खंड (च) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:, स्थापित किया जाएगा, अर्थात् "स्पष्टीकरण. इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टनभार की गणना पोतों के टनभार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबिक 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टनभार की गणना वाणिज्यिक नौवहन (पोतों के टनभार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"
- उक्त नियमों के नियम 17 से पहले निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किए जाएंगे: "अध्याय V प्रतिबंधित दृश्यता वाले अंतर्देशीय जलयानों का संचालन"
- 4. उक्त नियमों के नियम 18 से पहले निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-"अध्याय VI – प्रकाश और आकार"
- 5. नियम 18 में,-
 - शीर्षक में, शब्द "प्रतिबंधित दृश्यता वाले जलयान" के लिए "प्रकाश और आकार की सामान्य अवश्यकताएं"
 प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - ii. उप-नियम (4) में, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत:"नियम 23 के उप-नियम (1) के खंड (क) और (ख) तथा नियम 23 के उप-नियम (2) के साथ प्रकाश और
 आकार का अनुपालन किया जाएगा।"
- 6. उक्त नियम के नियम 19 से पहले, शीर्षक "अध्याय VI प्रकाश और आकार" को हटा दिया जाएगा।
- 7. उक्त नियम के नियम 23 में, उप-नियम (1) में,
 - i. खंड (क) में "दो ऑल-राउंड रेड लाइट" शब्द के बाद, शब्द "एक दूसरे के ऊपर लगभग 1 मीटर" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - ii. खंड (ख) में, शब्द ''ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) लाइन में दो बॉल या समान आकार'' के बाद, शब्द ''एक दूसरे के ऊपर लगभग 1 मीटर'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 8. उक्त नियम के नियम 26 में उप-नियम (2) में, आंकड़े "20" के स्थान पर आंकड़ा "50" प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 9. उक्त नियमों के नियम 33 में,
 - i. शुरुआती हिस्से में, शब्द "प्रचालन क्षेत्र पर निर्धारित तथा नामित प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित जलयान पर उपयुक्त रेडियो तथा नेवीगेशन उपकरण उपलब्ध किया जाना है।" को हटा दिया जाएगा तथा शेष हिस्से में उप-नियम (1) की तरह क्रमांकित किया जाएगा:-
 - ii. अब उप-नियम (1) में,-
 - क. "जोन 1 में परिचालन करने वाले जलयान", के बाद शब्द "और जोन 2" प्रतिस्थापित किया जाएगा; ख. खंड (ज) हटा दिया जाएगा;
 - iii. उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

- "(2) जोन 3 में परिचालन करने वाले जलयानों को न्यूनतम निम्न उपकरणों के साथ उपलब्ध किया जाना है-
- (क) चुंबकीय कंपास (हाथ से चलने वाले या पोर्टेबल प्रकार या इलेक्ट्रॉनिक प्रकार स्वीकार्य हो सका है);
- (ख) केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट अति उच्च आवृति (वीएचएफ) रेडियो या अल्ट्रा उच्च आवृति (यूएचएफ) रेडियो;
- (ग) डिस्पले के साथ क्लास बी स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस)
- (घ) दूरबीन;
- (ङ) एल्डिस लैंप या सर्च लाइट।"

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी (6)]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2025

G.S.R. 83(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 47 read with clauses (zj) and (zk) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication & Signals) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 424(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 547, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

- 1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication & Signal) (First Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

- 2. In the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication & Signal) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (f) of rule 2 after the, the following explanation shall be inserted, namely. -
- "Explanation. For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."
- 3. Before rule 17 of the said rules, the following title shall be inserted: "Chapter V Conduct of Inland Vessels of Restricted Visibility"
- 4. Before rule 18 of the said rules, the following title shall be inserted: -
- 5. In rule 18, -

"Chapter VI - 'Lights and Shapes"

- i. In the heading, for the words "Vessels in restricted visibility", the words "General Requirements of Lights and Shapes" shall be substituted.
- ii. In sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: "The lights and shapes shall comply with clauses (a) and (b) of sub-rule (1) of rule 23 and sub-rule (2) of Rule 23."
- 6. Before rule 19 of the said rules, the title "Chapter VI Lights and Shapes" shall be omitted.
- 7. In rule 23 of the said rules, in sub-rule (1),
 - i. In clause (a), after the words "two all-round red lights", the words "about 1 m one above another" shall be inserted;
 - ii. In clause (b), after the words "two balls or similar shapes in a vertical line", the words "about 1 m one above the other" shall be inserted.
- 8. In rule 26 of the said rules, in sub-rule (2), for the figure "20", the figure "50" shall be substituted;
- 9. In rule 33 of the said rules,
 - i. In the opening portion, the words "Appropriate radio and navigation equipment are to be provided on the vessel depending on the area of operation and as determined by the Designated Authority." shall be omitted and the remaining portion shall be numbered as sub-rule (1);
 - ii. In now sub-rule (1),
 - a. after the words "Vessels operating in Zone 1", the words "and Zone 2" shall be inserted;
 - b. clause (h) shall be omitted;
 - iii. After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 - "(2) Vessels operating in Zone 3 are to be provided with the following equipment as a minimum-
 - (a) Magnetic Compass (hand held or portable type or electronic type may be accepted);

(b) Very High Frequency (VHF) radio or Ultra High Frequency (UHF) radio as specified by Central Government;

- (c) Class B Automatic Identification System (AIS) with display
- (d) Binocular;
- (e) Aldis lamp or search light."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(6)] Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)